


प्रार्थी के वकील उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुन्त. प्रार्थना पत्र एस डी ओ भुसावर कैलाश मीणा के खिलाफ पेश किया गया था, श्री मीणा का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः प्रकरण प्रभावहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होने के बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।



(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official